निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 99/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ इण्डिया शाखा एस एम ई सी सी सी, एल आई सी डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग कैम्पस, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) मैसर्स प्रोपर स्टाईल प्रो॰ श्री लोकेश गुप्ता पुत्र श्री लल्लूलाल गुप्ता
(अ) 325, आदर्श नगर, बरकत नगर, जयपुर।
(ब) 11, श्याम वाटिका, नायला रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री राकेश कुमार संचेती अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

आदेश दिनांक: 24.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.04.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स प्रोपर स्टाईल प्रो॰ श्री लोकेश गुप्ता पुत्र श्री लल्लूलाल गुप्ता का हाईपोथीकेटेड स्टॉक ऑफ रेडीमेड गारमेन्ट्स इत्यादि, एन्टायर करन्ट एसेट्स एण्ड फिक्स एसेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात स्टॉक्स फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स स्टॉक–इन–ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट आफ बुक–डेब्ट्स आउस्टस्टेन्डिग, रिसीवेबल, आल मूवेबल्स, इक्यूपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (एग्रीमेन्ट ऑफ लोन–कम–हाईपोथीकेशन दिनांकित 27.04.2016 में विस्तृत रूप से परिभाषित) को हाईपोथीकेटेड कर राशि 7,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार संचेती ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर ऋण राशि जमा कराने के लिए समय चाहा।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned by CamScanner

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 7,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 4,54,381/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स प्रोपर स्टाईल प्रो॰ श्री लोकेश गुप्ता पुत्र श्री लल्लूलाल गुप्ता का हाईपोथीकेटेड स्टॉक ऑफ रेडीमेड गारमेन्ट्स इत्यादि, एन्टायर करन्ट एसेट्स एण्ड फिक्स एसेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात स्टॉक्स फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स स्टॉक–इन–ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट आफ बुक–डेब्ट्स आउस्ट स्टेन्डिग रिसीवेबल, आल मूवेबल्स, इक्यूपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (एग्रीमेन्ट ऑफ लोन–कम–हाईपोथीकेशन दिनांकित 27.04.2016 में विस्तृत रूप से परिभाषित) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/8/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned by CamScanner